फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व वाद संख्या 42/2018 अनवान सतीश कुमार वगैरा बनाम भोपालसिंह के कामु. मीरा वगैरा

अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

(प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी.) नाम 57/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
22-8-2019	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी श्री अमृत परिहार उपस्थित। वकील प्रतिवादी नरपतसिंह बारवा उपस्थित। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् जाहिर हैं कि वकील प्रतिवादी श्री नरपतसिंह बारवा द्वारा अपने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के माध्यम से दलील दी जा रही हैं कि वादीगण द्वारा जिस भूमि के संबध में उक्त वाद पेश किया है उस भूमि ग्राम बारवा के खसरा नंबर 579 रकबा 0.6700 हैक्टर के संबध में में पुर्व से राजस्व वाद सं0 07/2010 बअनवान् केशरीमल के कामु. निर्मलकुमार बनाम भोपालसिंह इसी न्यायालय में लंबित हैं। जिसकी तारीख पेशी 19.12.2018 नियत हैं। जिसमें लक्ष्मणसिंह पुत्र रामाजी पुरोति प्रतिवादी पक्षकार हैं। वादीगण के पिता लक्ष्मणसिंह द्वारा पूर्व में स्व0 केशरीमल को जरिये बेचान रजिस्ट्री दिनांक 10.06.68 के बेचान की जा चुकी हैं। जिससे वादीगण को उनके पिता द्वारा जरिये रजिस्ट्री बेचान की गई भूमि में कोई हक अधिकार नहीं होने से वाद खारिज योग्य है। इसके विपरित अधिवक्ता वादी श्री अमृत परिहार द्वारा वकील प्रतिवादी की दलीलो का खण्डन करते हुये दलील दी जा रही हैं, कि तथाकथित राजस्व वाद संख्या 7/2010 में वादीगण पक्षकार नहीं है। वादीगण ने उक्त वाद वादग्रस्त भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से 18/67 हिस्सा होते हुये राजस्व कर्मचारियो द्वारा वादीगण को केवल मात्र 1/4 हिस्सा का खातेदार दर्ज करने से उक्त घोषणा खातेदारी का वाद वादीगण द्वारा पेश किया गया है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा जवाबदावा पेश नहीं कर उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. पेश किया है, जो खारिज किये जाने की दलील दी गई। दोनो पक्षो की दलीलो पर मनन के पश्चात् संशोधित दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 में आदेश 07 नियम 11 में वर्णित प्रावधानो का अवलोकन किया गया। **आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधानों अनुसारः—** **11. वादपत्र का नामंजूर किया जाना—** वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा— (क) जहां वह वाद—हेतुक प्रकट नहीं करता हैं। (ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता हैं (ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक हैं किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प—पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है, (घ) जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता हैं कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है, (ङ) जहां वह डुप्लीकेट फाईल नहीं किया गया है, (च) जहां वादी 9 नियम 2 की अनुपालना करने में असमर्थर रहा है, (छ) जहां वादी नियम 9(3) की अनुपालना करने में असमर्थ रहा हैं।	

Scanned by CamScanner

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं संशोधित दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 में आदेश 07 नियम 11 में उल्लेखित कारणो के अध्ययन से हस्तगत् प्रकरण में यह स्पष्ट नहीं है कि वादी का उक्त वाद आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. से बाधित है। वादीगण ने उक्त घोषणा खातेदारी का वाद हिस्सा दुरस्ती का पेश किया है, तथा पुर्व वादी में वादीगण के पिता पक्षकार थे, इसके साथ ही प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी के प्रावधानो अनुसार उक्त वाद को खारिज नहीं किया जा सकता है। जिससे इस स्टेज पर अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. हस्तगत् प्रकरण की परिस्थितियों पर सटीक नहीं होने से खारिज किया जाता है। वकील प्रतिवादी सी.पी.सी. के प्रोविजो अनुसार जवाबदावा शीघ्र पेश करे। मिसल वास्ते जवाबदावा दिनांक 3-9-2019 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner